सं. 31011/3/2014-स्था.(ए-IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना (ए-IV) डेस्क

***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 9 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 - उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान निकोबार भ्रमण करने के लिए हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने की रियायत।**

***

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 26.09.2014 के समसंख्यक का.ज्ञा. का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह (ए एंड एन) की यात्रा हवाई जहाज से करने की अनुमति देने के लिए सीसीएस (एलटीसी) नियमावली, 1988 के अंतर्गत दी गई रियायत को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दिनांक 26 सितम्बर, 2016 से आगामी दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया है:

(क) हवाई यात्रा एलटीसी-80 किराया या उससे कम पर एयर इंडिया की इकोनोमी श्रेणी में ही की जाएगी।

(ख) जम्मू और कश्मीर के लिए किसी भी एयरलाइन के हवाई जहाज द्वारा यात्रा की अनुमति है तथापि, यह यात्रा एयर इंडिया के एलटीसी-80 किराए के बराबर या उससे कम के किराए पर इकोनोमी श्रेणी में की जानी चाहिए।

(ग) यह शर्त कि एयर टिकट या तो सीधे एयरलाइंस (बुकिंग काउंटर्स/वेबसाइट) से या केवल प्राधिकृत एजेंटों नामतः 'एम/एस बॉमर लारी एंड कंपनी लिमिटेड', 'एम/एस अशोक ट्रेवल्स एंड ट्यूर्स लिमिटेड' तथा 'आईआरसीटीसी' (जहां तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.12.2009 के का.ज्ञा.सं. 31011/6/2002-स्था.(क) के अनुसार आईआरसीटीसी को प्राधिकृत किया गया है) से खरीदे जा सकते हैं, आवश्यक रूप से लागू रहेगी।

(घ) सरकारी कर्मचारियों द्वारा यथासंभव कम किराए पर एयर टिकट बुक करने के प्रयास किए जाने चाहिए। सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने सभी कर्मचारियों के संज्ञान में यह लाने की सलाह दी जाती है कि एलटीसी के किसी भी प्रकार के दुरूपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा तथा कर्मचारियों के विरूद्ध नियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। एलटीसी के किसी भी प्रकार के दुरूपयोग पर नजर रखने के लिए मंत्रालयों/विभागों को पदधारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हवाई यात्रा टिकटों

को हवाई यात्रा के वास्तविक मूल्य तथा पदधारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हवाई यात्रा टिकटों पर अंकित मूल्य के संबंध में एयरलाइंस से यादृच्छिक रूप से सत्यापित करवाने की सलाह दी जाती है।

2. इस विभाग के दिनांक 26.09.2014 के समसंख्यक का.ज्ञा. में निर्धारित अन्य शर्तें लागू रहेंगी।

3. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों के संबंध में यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
दूरभाषः 23093176

सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
9. एनआईसी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस कार्यालय ज्ञापन को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
   (का.ज्ञा./आदेश→स्थापना→एलटीसी नियमावली)